प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... विभाग .... (संस्थान का नाम) में दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप मे अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने ....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक .... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तो को पढ व समझ लिया है तथा उन शर्तो की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 व पत्र दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह हैं कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया हैं कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30.04.2026 तक जो भी पहले हो (सत्र प्रणाली के अन्तर्गत) सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक (सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत) के लिए हैं मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।''
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. यह है कि मै इस तथ्य से भली भांती अवगत हू कि जिस रिक्त पद के विरूद्व शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नही बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकार, अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नही किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंए संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/ सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय, प्राचार्य..

क्रमांक–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनाक–

नाम–..

पता–..

विषयः– विद्या संबल योजनान्तर्गत (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फेकल्टी के रुप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमत्रित करने बाबत।

संदर्भ– आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के प.त्रांक..................... दिनाक.............. के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्कृत महाविद्यासलय .... में विषय .... में प्रति कालांश मानदेय रु 800/– पर (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांक ....से .... के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों की जांच एव निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र (100/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ) उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमत्रण स्वतः निरस्त समझा जायेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय

राजस्थान–सरकार
आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎: 0141–2704357 📠 : 0141–2704358
Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नाम :–
2. पिता का नाम –
3. आवेदित महाविद्यालय का नाम –
4. आवेदित पद एवं विषय का नाम :–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :–
6. जन्म तिथि :–
7. शैक्षणिक योग्यता :– 1. आचार्य / अधिस्नातक (विषय..................)वर्ष...............प्रतिशत...........संलग्न......
8. अन्य योग्यतायें :– 1. ....उत्तीर्ण वर्ष..................प्रतिशत...........संलग्न..........
   2. ....उत्तीर्ण वर्ष..................प्रतिशत...........संलग्न..........
   3. ....उत्तीर्ण वर्ष..................प्रतिशत...........संलग्न..........
9. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय धारित पद ....संलग्न.....
10. निवास का पता :– 1. स्थाई पता :– ....
    ....
    ....
    2 वर्तमान पता :– ....
    ....
    ....
11. मोबाइल नम्बर :–.. ई–मेल :– ....
12. जाति :– ....
13. अन्य (विकलाग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन)...................संलग्न...........
14. मूल निवास प्रमाण पत्र...संलग्न
15. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)......................संलग्न ....

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची मय कम संख्या (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर